सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-3367/JH/10/2024-ESDW दिनांक : 16 .06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
समाहरणालय, जिला-साहिबगंज,
साहिबगंज-816109,
(झारखंड)
Email Id: dc-sah@nic.in

विषय: **न्यू आदिवासी कल्याण (खरवार) छात्रावास संख्या 02 में बिजली, पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में – श्री गब्बर कुमार मंड़ल, छात्र नायक, न्यू आदिवासी कल्याण (खरवार) छात्रावास संख्या 02 साहेबगंज महाविद्यालय, साहेबगंज (झारखंड) का दिनांक 15.07.2024 का पत्र/अभ्यावेदन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री गब्बर कुमार मंड़ल,
छात्र नायक,
न्यू आदिवासी कल्याण (खरवार) छात्रावास संख्या – 02,
साहेबगंज महाविद्यालय, साहेबगंज (झारखंड)
Mobile No: 7667864804

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-3367/JH/10/2024-ESDW

अभ्यावेदक श्री गब्बर कुमार मंडल, छात्र नायक, न्यू आदिवासी कल्याण (खरवार) छात्रावास संख्या-02, साहेबगंज महाविद्यालय, साहेबगंज (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन, छात्रावास में बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदक श्री गब्बर कुमार मंडल, छात्र नायक, न्यू आदिवासी कल्याण (खरवार) छात्रावास संख्या-02, साहेबगंज महाविद्यालय, साहेबगंज (झारखंड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि छात्रावास में बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यावेदक ने आयोग से अनुरोध किया है कि छात्रावास में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु संबंधित प्रशासन को निर्देशित कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 07.11.2024 को संबंधित प्राधिकारी/जिलाधिकारी, साहेबगंज को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। तथापि, आयोग के उक्त नोटिस के संदर्भ में संबंधित प्राधिकारी से कोई प्रतिवेदन/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

3. सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता (ADC), साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), साहेबगंज आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, साहेबगंज द्वारा छात्रावास में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, साहेबगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि छात्रावास में विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्या का समाधान कर अनुरक्षण कार्य पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति पुनः चालू कर दी गई है। साथ ही, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, साहेबगंज द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रावास में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त जांच के उपरांत प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के लिए अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, दुमका अंचल, दुमका को भेजा गया है तथा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

छात्रावास में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा विद्युत एवं पेयजल सुविधाओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यदि उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु विभागीय निधि पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो, तो जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार जिला खनिज फाउंडेशन

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

ट्रस्ट (DMFT) निधि अथवा अन्य उपलब्ध स्रोतों से वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार करे। की गई कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को शीघ्र प्रेषित किया जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi